भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2570
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2019

आंध्र प्रदेश में भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन

2570. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः
श्री एन. रेड्डप्पः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में, विशेष रूप से अमरावती और अन्य शहरों/कस्बों में, 'भारत नेट परियोजना' के प्रथम व द्वितीय चरण के कार्यान्वयन के लिए सरकार से निधि की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) भारत नेट परियोजना के द्वितीय चरण के तहत 2318 गांवों में नेटवर्क के प्रावधान के साथ प्रस्तावित सात एकीकृत जनजातीय क्षेत्रों के विकास और राज्य में 1082 मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक जारी की गई निधि और शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में भारत नेट परियोजना को पूरा करने के लिए जारी की जाने वाली निधि और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक प्राप्त लक्ष्य और तय की गई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपर्युक्त परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त आप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का भारत नेट परियोजना को एपी फाइबर ग्रिड परियोजना के साथ जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और एपी फाइबर ग्रिड परियोजना के लिए जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या केन्द्र सरकार ने चीन के स्थानीय बाजार से लेकर उपयोग किए जाने वाले केबलों की कम गुणवत्ता पर आपत्ति जताई है और एपी फाइबर ग्रिड पावर प्रोजेक्ट को निधि देने से मना कर दिया है और यदि हां, तो इस संबंध में हस्ताक्षरित एमओयू सहित तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) आंध्र प्रदेश सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भारतनेट परियोजना चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित की जा रही है।

आंध्र प्रदेश फाइबर ग्रिड की स्थापना के लिए आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि/दूरसंचार विभाग की सहायता से मंडल से ग्राम पंचायत तक कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। तथापि दूरसंचार आयोग की मंजूरी से इस राज्य में भारतनेट चरण-I का कार्यान्वयन पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा किया गया है।

इसके पश्चात केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 19.07.2017 को भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक संशोधित कार्यनीति को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस संशोधित कार्यनीति में भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन का राज्य-आधारित मॉडल भी शामिल है। तद्नुसार आंध्र प्रदेश द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के आधार पर दूरसंचार आयोग (जिसे अब डिजिटल संचार आयोग के नाम से जाना जाता है) ने अमरावती तथा अन्य शहरों/कस्बों की ग्राम पंचायतों सहित इस राज्य में राज्य-आधारित मॉडल के तहत भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान कर दी है।

(ख) से (घ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्र परियोजना के चरण-II के तहत आंध्र प्रदेश के 346 टॉवर स्थलों (एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय द्वारा चिह्नित किए गए) के आबादी वाले तथा कवर न किए गए गांवों में 2जी+4जी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल द्वारा मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जानी है तथा इसके लिए निविदा जारी कर दी गई है।

आंध्र प्रदेश में भारतनेट चरण-II की अनुमानित लागत 1162.17 करोड़ रुपए है तथा 3 वर्षों की अवधि में प्राप्त राजस्व को घटाया जाएगा। इस परियोजना के लिए निधियां समग्र रूप से राज्य को जारी की जाती है और यह जिला/क्षेत्र-वार जारी नहीं की जाती है। फिलहाल राज्य को 227.12 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं तथा शेष राशि राज्य सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार जारी की जानी है।

दिनांक 22.11.2019 की स्थिति के अनुसार भारतनेट चरण-II के तहत इस राज्य में 12,933 किमी. ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर कुल 2,526 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा चुका है।

आंध्र प्रदेश राज्य में भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन चल रहा है तथा इसे मार्च 2020 तक पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य है।

(ड़) और (च) केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार भारतनेट परियोजना को सभी ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए नेटवर्क अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। तद्नुसार भारतनेट परियोजना को दूरसंचार विभाग/सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से वित्तपोषण द्वारा आंध्र प्रदेश फाइबर ग्रिड परियोजना के साथ जोड़ने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

*****